2010 का विधेयक सं 25

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, **2010**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

2010 का विधेयक सं. 25

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-**(1)** इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2 1994 क़े राजस्थान अधिनियम सं **13** क़ी धारा **91-**क का अंत:स्थापन-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं 13), क़ी विद्यमान धारा 91 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी अर्थात् :-

"91-क ज़िला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी की अनुशासनिक शक्तिया(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी,-

(क) पंचायती राज संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से भिन्न समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में चाहे वे ऐसी पंचायती राज संस्था द्वारा नियुक्त किये गये हों या राज्य सरकार द्वारा, जिला कार्यक्रम समन्वयक को; और

(ख) पंचायती राज संस्था के ब्लॉक और ग्राम स्तर पर, धारा 79 में निर्दिष्ट अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में, कार्यक्रम अधिकारी को,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी भी अन्य स्कीम के अधीन उन्हें समनुदेशित कर्तव्यों और कृत्यों के संबंध में ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कारित अवचार के संबंध में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां करने और उन पर दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति होगी :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को तब तक पदच्युत नहीं किया जायेगा या हटाया नहीं जायेगा जब तक कि इस उप-धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाला प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति का नियुक्ति प्राधिकारी न हो।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13, 14, 16, 17 और 18 इस धारा के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियों और दण्ड पर ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगे, जो आवश्यक हों, जिसमें यह उपांतरण सम्मिलित है कि उसमें नियुक्ति प्राधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश के प्रति अर्थान्वयन में जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यकअधिकारी के प्रति निर्देश सम्मिलित होगा।

(3) (क) कार्यक्रम अधिकारद्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध जिला कार्यक्रम समन्वयक को; और

(ख) जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अपिल की जा सकेगी।

(4) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, उस आदेश की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के भीतर-भीतर उप-धारा (3) के अधीन अपील की

जा सकेगी और ऐसे आदेश की प्रति प्राप्त करने में लगा समय उक्त कालावधि में से अपवर्जित कर दिया जायेगा।

(5) जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकद्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, नियुक्ति प्राधिकारी को और ऐसे अधिकारी को, जिसके अधीनस्थ वह अधिकारी या कर्मचारी है जिसके विरूद्ध आदेश दिया गया है, तुरन्त पृष्ठांकित किया जायेगा और उसे संसूचित किया जायेगा और ऐसा वरिष्ठ अधिकारी ऐसे आदेश को निष्पादित करने के लिए आबद्ध होगा।

(6) संदेहों के निराकरण के लिए इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की किसी भी बात का अर्थान्वयन, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन किसी भी अन्य अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्तियों को कम करने के लिए नहीं किया जायेगा, तथापि, यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई आरंभ की गयी हो या की गयी हो तो उन्हीं तथ्यों या आचरण के आधार पर किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई आरंभ नहीं की जायेगी या नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं 42) में यथा परिभाषित जिला कार्यक्रम समन्वयक अभिप्रेत है और इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी भी स्कीम में या उसके अधीन इस रूप में पदाभिहित कोई अधिकारी सम्मिलित

¼ii½ "कार्यक्रम अधिकारी से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 '(2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) में यथा परिभाषित कार्यक्रम अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना में या उसके अधीन इस रूप में पदाभिहित कोई अधिकारी सम्मिलित है।

(iii) "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम" से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं 42) क़ी धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम अभिप्रेत है।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में जिला और ब्लाक स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकाि पर डाला गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और केन्द्रीय और राज्य सरकार की इसी प्रकार की अन्य स्कीमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं और ऐसी स्कीमों के सफल क्रियान्वयनलिए पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है किन्तु ये अधिकारी और कर्मचारी न तो जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारियों के सीधे प्रशासनिक नियंत्रणअधीन हैं, न ही जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी को इन अधिकारियों और सेवकों द्वारा कर्तव्यों की अवहेलना के मामले में कार्रवाई करने की अनुशासनिक शक्तियां ही हैं। आरंभिक स्तर के इन कृत्यकारियों पर जिला कायसमन्वयकों और कार्यक्रम अधिकारियों के प्रभावी नियंत्रण का अभाव होने से ऐसी स्कीमों के प्रभावी, पारदर्शी और सफल क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

चंकि राज्य सरकार ऐसी स्कीमों के प्रभावी, पारदर्शी और सफल क्रियान्वयन के लिए और इन स्कीमों के क्रियान्वयन में समस्त अनियमितताओं और कर्तव्यों की अवहेलना को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी यह राय है कि जिला कार्यक्रम समन्वयकों और कार्याक्रम अधिकारियों केा इस प्रयोजन

के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए, अतः, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम या केन्द्रीय और राज्य सरकार की किन्हीं भी अन्य स्कीमों के क्रियान्वयन में लगे हुए पंचायत राज संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों पर जिला कार्यक्रम समन्वयकों या कार्यक्रम अधिकारियों के प्रभावी नियंत्रण का उपबंध करने की दृष्टि से राजस्थान पंचायती उन्हें, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध, यदि वे पूर्वोक्त स्कीमों के संबंध में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार कारित करते हैं तो अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सशक्त किया जा सके। जिला कार्यक्रम समन्वयकों और कार्यक्रम अधिकारियों की या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन ऐसी शक्तियों पहले से ही प्राप्त हैं, की शक्तियों के समवर्ती होगी, और उनकें हस्तक्षेप करने वाली या उन्हें कम करने वाली नहीं होंगी ।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

भरत सिंह,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

एच आर कुड़ी,
सचिव।

(भरतसिंह, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 25 of 2010

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Bill No. 25 of 2010

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of section 91-A, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- After the existing section 91 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the following new section shall be inserted, namely:-

> **"91-A. Disciplinary powers of District Programme Coordinator and Programme Officer.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force,-
>
> (a) in the case of all the officers and servants, other than the Chief Executive Officer, of a Panchayati Raj Institution, whether appointed by such Panchayati Raj Institution or the State Government, the District Programme Coordinator; and

(b) in the case of all the officers and servants, other than the officers referred to in section 79, of a Panchayati Raj Institution at block and village level, the Programme Officer-

shall have power to conduct disciplinary proceedings against, and to inflict punishment on, such officers and servants in respect of the misconduct committed by such officers or servants in connection with the duties and functions assigned to them under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme or under any other scheme of the Central Government or the State Government:

Provided that no person shall be dismissed or removed from service in exercise of the powers under this sub-section unless the authority exercising power under this sub-section is appointing authority of such person.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), rules 13, 14, 16, 17 and 18 of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958, as amended from time to time, shall apply to the disciplinary proceedings and punishment under this section with such modifications as may be necessary including the modification that references to appointing authority or disciplinary authority therein shall be construed as including reference to the District Programme Coordinator and the Programme Officer.

(3) An appeal may be preferred-

(a) against an order made by the Programme Officer to the District Programme Coordinator; and

(b) against an order made by the District Programme Coordinator to the State Government.

(4) An appeal may be preferred under sub-section (3) within a period of ninety days from the date of the order appealed against and the time taken for obtaining a copy of such order shall be excluded from the said period.

(5) Every order made by the District Programmed Coordinator or the Programme Officer shall be endorsed and communicated immediately to the appointing authority and to the officer to whom the officer or servant, against whom order is made, is subordinate and such superior officer shall be bound to execute such order.

(6) For the removal of doubts it is hereby clarified that nothing in this section shall be construed as diminishing the powers of any other disciplinary authority under this Act or any other law for the time being in force, however, if any action has been initiated or taken against any officer or servant under this section, no action shall be initiated or taken by any other authority on the basis of same facts or conduct.

Explanation.- For the purposes of this section, -

(i) "District Programme Coordinator" means the District Programme Coordinator as defined in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act No. 42 of 2005) and includes an officer designated as such in or under any scheme of the Central Government or the State Government;

(ii) "Programme Officer" means the Programme Officer as defined in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act,

2005 (Central Act No. 42 of 2005) and includes an officer designated as such in or under any scheme of the Central Government or the State Government; and

(iii) "Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" means the Scheme notified by the State Government under sub-section (1) of section 4 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act No. 42 of 2005).".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 casts responsibility for implementation of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme at District and Block levels on the District Programme Coordinators and the Programme Officers. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and similar schemes of the Central and State Government are implemented through the Panchayati Raj Institutions and for successful implementation of such schemes officers and servants of the Panchayati Raj Institutions have crucial role to play but these officers and servants are neither under direct administrative control of the District Programme Coordinators and the Programme Officers nor the District Programme Coordinator or the Programme Officer have disciplinary powers to take action in case of dereliction of duties by these officers and servants. Absence of effective control of the District Programme Coordinators and the Programme Officer over these grass root functionaries has an adverse impact on effective, transparent and successful implementation of such schemes.

Since the State Government is committed to effective, transparent and successful implementation of such schemes and to curb all irregularities and dereliction in the implementation of the schemes and is of the view that the District Programme Coordinators and the Programme Officers should be strengthened for this purpose, therefore, with a view to provide for effective control of the District Programme Coordinators or the Programme Officers over the officers and servants of Panchayati Raj Institutions engaged in the implementation of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme or any other schemes of the Central and State Government, a new section 91-A

is proposed to be inserted in the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 so as to empower them to take disciplinary action against the officers and servants of the Panchayati Raj Institutions in case they commit misconduct in discharging of their duties in respect of the aforesaid schemes. The proposed disciplinary powers of the District Programme Coordinators and the Programme Officers shall be concurrent with, and shall not interfere with or diminish, the powers of the Authorities who already have such disciplinary powers under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 or any other law for the time being in force.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

Hkjr flag]

Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(BHARAT SINGH, **Minister Incharge**)